

लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

मु.नं. 183/2014/दावा

- 1.मूलीदेवी पत्नि श्री कालूराम उम्र 70 वर्ष
 - 2.मनभरी देवी पत्नि श्री खींवाराम उम्र 65 वर्ष
 - 3.भंवरीदेवी पत्नि श्री भींवाराम उम्र 40 वर्ष
 - 4.केशर देवी पत्नि चरणसिंह उम्र 35 वर्ष
- समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हरिपुरा (कांकरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीयागण

ब न म

- 1.भंवरीदेवी पत्नि रूपाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम हरिपुरा (कांकरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 2.नानूराम पुत्र श्री भूराराम उम्र 58 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम हरिपुरा (कांकरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 3.पटवारी, पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 4.उप पंजीयक दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 5.तहसीलदार दांतारामगढ ।
- 6.मालीराम पुत्र कजोडमल जाति जाट निवासी पीपलीवाली तलाई, वार्ड नं.1 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपरिस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर से
2. श्री कमल कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. श्री बंशीधर बाज्या प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 16.05.2016



(जगदीश प्रसाद गौड)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम दांतारामगढ

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

मूलीदेवी व अन्य

बनाम

भंवरी देवी आदि

दावा बाबत बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 183/दावा सन् 2014 निर्णय दिनांक 16.05.2016 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस बहाजरी हरदेवाराम सुण्डा मिनजानिब मुददई व श्री कमल कुमार, श्री बंशीधर बाज्या मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2015 व प्राथमिक डिकी दिनांक 12.12.2015 की अनुपालना में तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक 511 दिनांक 22.02.2016 के संलग्न बंटवारा स्कीम मय नक्शा प्राप्त होने तथा प्रतिवादीगणों की सहमति के अनुसार तहसीलदार, दांतारामगढ से प्राप्त बंटवारा स्कीम व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार अंतिम डिकी निम्न प्रकार से जारी की जाती है :-

ग्राम का नाम हरिपुरा पटवार मण्डल कांकरा तहसील दांतारामगढ

क. सं.	प्रस्तावित खातेदारान का विवरण	ख.नं.	रकबा (है० में)	किस्म	लगान
1.	भंवरीदेवी ध.पत्नि भीवाराम, केसरदेवी ध.पत्नि चरणसिंह ब हिस्सा बराबर जाति जाट सा.देह	157/1	2.32	बारानी-4	4.64
		किता 1	2.32	बारानी-4	4.64
2.	मूलीदेवी ध.पत्नि कालूराम, मनभरी देवी ध. पत्नि खीवाराम ब. हिस्सा बराबर जाति जाट सा.देह	157/2	2.91	बारानी-4	5.82
		173/1	0.07	बारानी-4	0.14
		170/1	0.11	बारानी-4	0.22
		किता 3	3.09 है०	बारानी-4	6.18
3.	नानूराम पुत्र भूराराम जाति बलाई सा. देह	172	0.16	बारानी -4	0.32
		173/2	0.10	बारानी -4	0.20
		किता 2	0.26 है०	बारानी-4	0.52
4.	मालीराम पुत्र कजोडमल जाति जाट सा. पीपली वाली तलाई, वार्ड नं. 1, किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर	169/208	0.21	बारानी-4	0.42
		177	0.29	बारानी-4	0.58
		170/2	2.07	बारानी-4	4.14
		किता-3	2.57 है.	बारानी-4	5.14

अतः उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 मई, 2016 को जारी की गई।



दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	2	00
मुतफर्रिक	—	—		3	00
मीजान	5	00	मीजान		

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़